भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2849
उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026

अनुसूचित जाति समुदाय को छात्रवृत्ति

2849. श्री प्रदीप पुरोहितः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से जुड़े पीएच.डी शोधार्थियों के लिए वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या यूजीसी-नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति की अलग-अलग श्रेणियां उपलब्ध हैं और यदि हां, तो पात्रता की तीन श्रेणियों सहित प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता और उक्त सहायता की अवधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त प्रत्येक योजना के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से जुड़े पीएच.डी शोधार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की पहुंच, जागरूकता और समय पर संवितरण बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पीएच.डी छात्रों के लिए 'अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना' (एनएफएससी) और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना (एनएफएसटी) लागू कर रहे हैं।

इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार है:

योजना	पात्रता
'अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना' (एनएफएससी)	(i) उम्मीदवार यूजीसी-नेट (जेआरएफ) या संयुक्त यूजीसी-सीएसआईआर नेट परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश लिया हो (ii) कोई आयु सीमा नहीं
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना (एनएफएसटी)	(i) उम्मीदवार स्नातकोत्तर में कम से कम 55% अंक प्राप्त किया हो और यूजीसी-नेट या संयुक्त यूजीसी-सीएसआईआर नेट परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा इस योजना के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान में प्रवेश लिया हो। (ii) अधिकतम आयु 36 वर्ष

(ख): अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना (एनएफएससी) और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना (एनएफएसटी) के अंतर्गत छात्रवृत्ति/फैलोशिप की कोई अलग श्रेणियां नहीं हैं। तथापि, एनएफएससी योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2000 स्लॉट में से 1500 स्लॉट यूजीसी-नेट (मानविकी के लिए) के लिए और 500 स्लॉट संयुक्त यूजीसी-सीएसआईआर नेट (विज्ञान स्ट्रीम के लिए) के लिए निर्धारित किए गए हैं।

(ग): विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ): अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पीएच.डी छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने और समय पर छात्रवृत्ति जारी करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि एक समर्पित ऑनलाइन छात्रवृत्ति और फैलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल (एसएफएमपी) के ज़रिए स्कीमों को लागू करना, पात्र आवेदकों के आधार समर्थित खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के ज़रिए फैलोशिप जारी करना, सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाना, और पात्र छात्रों के बीच अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए विभाग, एनएसएफडीसी और यूजीसी की वेबसाइटों और आउटरीच गतिविधियों द्वारा जानकारी फैलाना।

अनुलग्नक

"अनुसूचित जाति समुदाय को छात्रवृत्ति" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2849, जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (ग) से संबंधित अनुलग्नक

2022-23 से 2024-25 के दौरान एनएफएससी और एनएफएसटी योजना के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों की वर्षवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	छात्रों की संख्या					
		2022-23		2023-24		2024-25	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12	0	20	1	6	1
2	आंध्र प्रदेश	77	106	147	90	105	59
3	अरुणाचल प्रदेश	1	129	0	133	0	142
4	असम	51	180	70	189	86	195
5	बिहार	49	15	93	13	85	10
6	चंडीगढ़	12	0	16	0	19	0
7	छतीसगढ़	31	101	43	109	54	113
8	दिल्ली	196	0	250	0	260	0
9	गोवा	0	1	0	1	1	0
10	गुजरात	37	145	53	146	47	113
11	हरियाणा	194	0	258	0	263	0
12	हिमाचल प्रदेश	125	45	157	54	160	35
13	जम्मू-कश्मीर	57	119	73	119	69	103
14	झारखंड	24	74	31	73	34	67
15	कर्नाटक	150	296	213	289	200	203
16	केरल	90	14	125	12	140	11
17	लद्दाख	0	51	0	55	0	53
18	लक्षद्वीप	0	1	0	1	0	1
19	मध्य प्रदेश	59	67	118	53	107	36
20	महाराष्ट्र	102	79	147	81	149	69
21	मणिपुर	18	138	32	147	43	139

22	मेघालय	1	122	1	142	1	138
23	मिजोरम	0	292	0	288	0	340
24	नागालैंड	0	186	0	216	0	222
25	ओडिशा	68	141	106	142	84	191
26	पुडुचेरी	3	0	4	2	5	1
27	पंजाब	212	0	243	0	221	0
28	राजस्थान	128	102	176	104	174	88
29	सिक्किम	3	20	4	21	4	20
30	तमिलनाडु	75	27	107	24	102	22
31	तेलंगाना	111	353	166	313	122	173
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	1	0	1
33	त्रिपुरा	6	35	6	46	4	51
34	उत्तर प्रदेश	462	10	735	15	776	17
35	उत्तराखंड	58	6	88	8	95	8
36	पश्चिम बंगाल	483	83	687	87	727	76
	कुल	*2895	2938	*4169	2975	*4143	2698

*चूंकि एनएफएससी योजना के तहत फैलोशिप की अवधि 5 वर्ष तक होती है और एक छात्र को कई वर्षों तक रिपीट किया जाता है, इसलिए, कई पेमेंट के बावजूद एक छात्र को वर्ष में एक बार गिना जाता है।

स्रोत: छात्रवृत्ति और फैलोशिप प्रबंधन पोर्टल (एसएफएमपी)

*****